

कार्यालय जिला नगर योजनाकार, फतेहाबाद  
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा  
दूरभाष न० 01667-230405, ई मेल : [ntp1.fatehabad.tcp@gmail.com](mailto:ntp1.fatehabad.tcp@gmail.com)

सेवा में,

जिलाधीश,  
फतेहाबाद।

यादि क्रमांक

दिनांक

विषय:-

Application for No objection certificate for setting up for eastablishment of retail outlet(petrol pump) at porposed location at khasra no. 98//4, village Hamjapur on Fatehabad to Ratia road District Fatehabad(Haryana).

हवाला:-

आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 1406-17/पीएलए दिनांक 14.06.2021 के सन्दर्भ में।

विषयक सन्दर्भ में प्राप्त पत्र का अध्ययन करने उपरान्त पाया गया कि आप द्वारा, नियंत्रित क्षेत्र रतिया के गांव हमजापुर के खसरा न० 98//4 में रिटेल आऊटलेट स्थापित करने हेतु इस कार्यालय से अन्नापति प्रमाण की मांग की गई है। इस बारे सूचित किया जाता है कि उपरोक्त खसरा न. नियंत्रित क्षेत्र रतिया में पड़ता है। जिस पर निर्माण करने से पूर्व निदेशक नगर तथा ग्राम आयोजन विभाग हरियाणा चण्डीगढ से भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति ली जानी अनिवार्य है। जिसमें भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति लेने बारे प्रार्थी द्वारा [www.tcpharyana.gov.in](http://www.tcpharyana.gov.in) पर ऑनलाईन माध्यम से अप्लाई किया जाना है।

जिला नगर योजनाकार  
फतेहाबाद।

पृ० क्रमांक FT/D-10-1/1418/2021

दिनांक: 23-06-2021

✓ प्रति श्री दीपक पुत्र श्री सतपाल सिंह निवासी मकान न० 13 गांव धारसूल खुर्द जिला फतेहाबाद को भेजते हुए अनुरोध किया जाता है कि आप ऑनलाईन माध्यम से [www.tcpharyana.gov.in](http://www.tcpharyana.gov.in) पर भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति बारे इस कार्यालय में आवेदन करें ताकि रिपोर्ट निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा चण्डीगढ को भेजी जा सके।

जिला नगर योजनाकार,  
फतेहाबाद।